

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक :

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

आदेश

डॉ. सत्यनारायण, चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, तारानगर, चूरु को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तारानगर कार्यालय की सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 (क) के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियों एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)
विभाग एवं पंचायती राज
(चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन, राज.
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
6. संबंधित प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राज.
7. संबंधित कोषाधिकारी
8. संबंधित अधिकारी
9. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7715181

Document certified by PREETI MATHUR
<adwecell.we@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Priiti Mathur
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :10-06-2024 04:36:47